23
41

जे0एस0दीपक
आई0ए0एस0
राज्य परियोजना निदेशक
एवं
सचिव, बेसिक शिक्षा
उ0प्र0 शासन

अर्द्ध शा0पत्रांक: रा0प0नि0/1544/2004–05
सर्व शिक्षा अभियान
एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0)
राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन, निशातगंज
लखनऊ–226007
दूरभाष–कार्या0–2780384, 2780893
फैक्स : (0522) 2731128, 2781123
ई–मेल : updpep@sancinanet.in

दिनांक 29 नवम्बर, 2004

प्रिय महोदया/महोदय,

मध्यान्ह भोजन योजना (मिड–डे–मील स्कीम) के संचालन हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23 नवम्बर, 2004 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ तथा आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:– उक्तवत्

भवदीय
ह0
(जे0एस0दीपक)

1. श्रीमती नीरा यादव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. श्री अनीस अंसारी, प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन।
3. श्री अनंत कुमार वर्मा, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
4. श्री अतुल गुप्ता, प्रमुख सचिव,ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
5. श्री प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति।
6. श्री मोहिन्दर सिंह, प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
7. श्री राजन शुक्ला, सचिव वित्त।
8. श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, अपर राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान।
9. श्री दिनेश चन्द्र मिश्र, विशेष सचिव, नगर विकास।
10. श्री दिवाकर त्रिपाठी, निदेशक सूडा।
11. श्री श्रीप्रकाश सिंह, नगर आयुक्त, लखनऊ।
12. श्री श्यामलाल, विशेष, पंचायती राज।
13. श्री रमेश चन्द्र, संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक)।

प्रतिलिपि : प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
: स्टाफ आफिसर (श्री शंकर सिंह), मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
: निदेशक बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
: निजी सचिव, सचिव बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।

ह0
(जे0एस0दीपक)

Annexure-3 18

मध्यान्ह भोजन योजना (मिड–डे–मील स्कीम) के संचालन हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक 23 नवम्बर, 2004 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1. श्री वी0के0 मित्तल, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश – अध्यक्ष
2. श्रीमती नीरा यादव, कृषि उत्पादन आयुक्त
3. श्री अमल कुमार वर्मा, प्रमुख सचिव, नियोजन
4. श्री प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
5. श्री जे0एस0दीपक, सचिव, बेसिक शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान
6. श्री राजन शुक्ला, सचिव वित्त
7. श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, अपर राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान
8. श्री दिनेश चन्द्र मिश्र, विशेष सचिव, नगर विकास
9. श्री दिवाकर त्रिपाठी, निदेशक सूडा
10. श्री श्रीप्रकाश सिंह, नगर आयुक्त, लखनऊ
11. श्री श्याम लाल, विशेष सचिव, पंचायती राज
12. श्री रमेश चन्द्र, संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक)

इस महत्वपूर्ण योजना को सुचारू रूप से चलाने हेतु एवं आ रही कठिनाईयों के निराकरण करने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार हुआ व निर्णय लिए गये:–

1. खाद्यान्न का आवंटन:–

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्रदेश के 21 जनपदों में चावल तथा शेष 49 जनपदों में गेंहूँ वितरित किया जा रहा है। सचिव, बेसिक शिक्षा ने अवगत कराया कि भोजन पकाने की सुविधा को देखते हुए चावल दिया जाना अधिक उपयोगी है। चावल उपलब्ध होने से जल्द खाना पकता है तथा उससे विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाये जा सकते है जिसमें सब्जी इत्यादि को भी मिलाया जा सकता है। जिलाधिकारियों द्वारा भी इस योजना के अन्तर्गत अधिक चावल देने की मांग प्राप्त हो रही है। उपरोक्त के कारण जनपदों में 2/3 भाग चावल तथा 1/3 भाग गेंहूँ दिया जाना आदर्श स्थिति है परन्तु यदि यह सम्भव नहीं है तो यह अवश्य कर दिया जाय कि प्रदेश को आवंटित चावल की मात्रा को समानुपातिक रूप से सभी जनपदों में बांटने की अनुमति प्रदान कर दी जाय।

प्रमुख सचिव खाद्य ने अवगत कराया कि जनपदों में पैदा होने वाले अनाज को दृष्टिगत रखते हुए एफ.सी.आई. भण्डारण करता है अतः धान बाहुल्य क्षेत्रों में चावल तथा गेंहूँ–बाहुल्य क्षेत्रों में गेंहूँ लिया जाता है तथा उसे गोदाम में संग्रहीत किया जाता है। अतः अधिक चावल की मांग से सम्भवतः राज्य सरकार को अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ेगा।

निर्णय:–

सचिव, बेसिक शिक्षा सभी जनपदों के लिए मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम के लिए 2/3 भाग चावल व 1/3 भाग गेंहूँ का आवंटन मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त करना सुनिश्चित करें। इस परिवर्तन से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं होना चाहिए।

कार्यवाही–बेसिक शिक्षा विभाग–1 दिसम्बर, 2004 तक

सचिव, वित्त को निर्देश दिए कि मध्यान्ह भोजन योजना को इससे मुक्त रखा जाय तथा इस योजनान्तर्गत धन के आहरण में किसी भी प्रकार की रोक न लगाई जाय।

निर्णयः–

1. शासनादेश सं0–बी–2–3506/दस–2004–8/99 दिनांक 5 नवम्बर, 2004 द्वारा लगाई गई रोक से मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत किए जा रहे आहरण को मुक्त किया जाय।
2. मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत कोई भी विभाग शासनादेश जारी करता है तो बेसिक शिक्षा के परामर्श के उपरान्त ही शासनादेश को जारी किया जाय।

कार्यवाही–बेसिक शिक्षा विभाग– 30 नवम्बर, 2004 तक

5. खाद्यान्न की बचत का सदुपयोगः–

सचिव, बेसिक शिक्षा ने अवगत कराया कि योजनान्तर्गत 03 किलो खाद्यान्न प्रति बच्चा प्रतिमाह भारत सरकार से प्राप्त हो रहा है परन्तु 100 ग्राम प्रति बच्चा प्रतिदिन औसतन 20 दिनों के लिए मध्यान्ह भोजन दिया जा रहा है। अतः प्रति बच्चा 2 किलो खाद्यान्न का प्रयोग हो रहा है तथा 24 किलो खाद्यान्न अवशेष बच रहा है। इसका सदुपयोग किया जाना है।

निर्णयः–

बचे हुए खाद्यान्न का उपयोग Cook अथवा helper के रूप में भोजन पकाने की व्यवस्था में लगे एक या उससे अधिक व्यक्तियों को मजदूरी के रूप में अथवा आई.सी.डी.एस. सेन्टर जो स्कूल प्रांगण में चल रहे है, के बच्चों को मध्यान्ह भोजन प्रदान करने हेतु किया जाय।

कार्यवाही–बेसिक शिक्षा विभाग– 6 दिसम्बर, 2004 तक

6. रसोइये का मानदेयः–

सचिव, बेसिक शिक्षा ने ग्राम्य विकास विभाग से अनुरोध किया कि भोजन बनाने की व्यवस्था में जुड़े Cook अथवा helper की मजदूरी एस.जी.आर.वाई. से देने की व्यवस्था कर दी जाय तो मध्यान्ह भोजन योजना को चलाने में सुविधा होगी। इस प्रस्ताव पर कृषि उत्पादन आयुक्त ने सहमति व्यक्त की।

निर्णय

एस.जी.आर.वाई. योजना के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था में लगे Cook अथवा helper की मजदूरी के लिए धनराशि/खाद्यान्न एस.जी.आर.वाई. से उपलब्ध कराने हेतु निर्देश जारी किए जाय।

कार्यवाही–बेसिक शिक्षा विभाग– 6 दिसम्बर, 2004 तक

7. नोडल अधिकारी नामित करनाः–

सचिव, बेसिक शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया कि इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतु जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी को नामित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को इसके लिए प्रस्तावित किया। कृषि उत्पादन आयुक्त ने अवगत कराया कि मुख्य विकास अधिकारी को मध्यान्ह भोजन योजना का नोडल अधिकारी बनाने हेतु ग्राम्य विकास विभाग सहमत नहीं है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इस योजना के महत्व तथा इसको सुचारू रूप से चलाने की तात्कालिकता को देखते हुए जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाय और उनकी व्यक्तिगत देखरेख में इस योजना को संचालित किया जाय।

इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन आयुक्त की ओर से सभी मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश भेजे जाय कि वे स्वयं तथा सभी विकास के अधिकारियों की मदद से मध्यान्ह भोजन योजना की नियमित समीक्षा करें।

यह भी तय किया गया कि जनपदों में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध वित्त एवं लेखाधिकारी को मध्यान्ह भोजन योजना का लेखा जोखा रखते हेतु निर्देशित किया जाय।

निर्णयः–

1. जनपद स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन हेतु जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाय।
2. मध्यान्ह भोजन योजना की नियमित समीक्षा हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त की ओर से मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश भेजे जाय।
3. बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के वित्त एवं लेखाधिकारी इस योजना का लेखा–जोखा रखने के निर्देश दिए जाय।

–कार्यवाही–बेसिक शिक्षा विभाग– 1 दिसम्बर, 2004 तक

8. ग्रामीण क्षेत्रों में किचेन शेड का त्वरित निर्माणः–

प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु किचन शेड के निर्माण सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से कराये जाने के के लिए ग्राम्य विकास विभाग ने शासनादेश 3 सितम्बर, 2004 को जारी किया है तथा नगरीय क्षेत्रों में इस व्यवस्था हेतु नगर विकास विभाग ने शासनादेश 3 अगस्त, 2004 को जारी किया गया है। इन शासनादेशों पर त्वरित गति से कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। सचिव, बेसिक शिक्षा द्वारा यह अनुरोध किया गया कि ग्राम्य विकास विभाग एवं नगर विकास विभाग इस बिन्दु पर अनुश्रवण भी प्रारम्भ करें जिससे एक समयबद्ध तरीके से ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के सभी प्राथमिक विद्यालयों में किचनशेड का निर्माण हो सके।

निर्णयः–

एस.जी.आर.वाई. एवं राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम एवं सवर्ण जयन्ती रोजगार योजना के उपघटक में नगरीय मज़दूरी रोजगार कार्यक्रम (यू.डब्लू.ई.पी.) की अगले वर्ष की कार्ययोजना में प्राथमिक विद्यालयों में किचन शेड निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था भी सुनिश्चित करायी जाय।

कार्यवाही–ग्राम्य विकास विभाग एवं नगर विकास विभाग–6 दिसम्बर, 2004 तक

9. शहरी क्षेत्रों में स्वैच्छिक संस्थाओं को दायित्व सौंपनाः–

शहरी क्षेत्रों में शासकीय विभागों के तंत्र की कमी को देखते हुए मध्यान्ह भोजन योजना सुचारू रूप से चालू नहीं हो पा रही है। इसमें स्वैच्छिक संस्थाओं की मदद लेने पर विचार–विमर्श हुआ। मुख्य सचिव ने इस पर सहमति व्यक्त करते हुए यह निर्देशित किया कि स्वैच्छिक संस्थाओं के चयन का दायित्व जिलाधिकारी को सौंपा जाय। इसके अतिरिक्त स्वैच्छिक संस्थाओं को शहरी क्षेत्र के लिए तथा जिन ग्रामीण क्षेत्रों में वे कार्य करना चाहते हो, के लिए केन्द्रीय किचन चालने की अनुमति दी जाय तथा मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न एवं कन्वर्जन कास्ट उनको सीधे उपलब्ध कराई जाय। ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका/ग्राम प्रधान की अनापत्ति के आधार पर एक बार में अधिकतम तीन महीने के लिए जिलाधिकारी सीधे सम्बन्धित संस्था को खाद्यान्न उपलब्ध करा दें।

22 39

निर्णयः—

1. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वैच्छिक संस्थाओं के चयन का दायित्व जिलाधिकारी को सौंपा जाय।
2. स्वयंसेवी संस्थाओं को खाद्यान्न एवं कन्वर्जन कास्ट सीधे उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।
3. इस योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा एक से अधिक विद्यालयों हेतु केन्द्रीय किचन चलाने की अनुमति स्वैच्छिक संस्थाओं को दी जाय।
4. सामाजिक एवं व्यवसायिक संस्थाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया जाय।

कार्यवाही—बेसिक शिक्षा विभाग— 6 दिसम्बर, 2004 तक

10. भोजन निर्माण हेतु ईधन की व्यवस्थाः—

सचिव, बेसिक शिक्षा ने अवगत कराया कि मध्यान्ह भोजन योजना हेतु खाना पकाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों मं रसोई गैस प्रदान कर दिए जाने पर इस पर प्रारम्भिक (one time) लागत लगभग रूपये—2500 प्रति स्कूल आएगी। इसमें एक कैन्टीन बर्नर, डबल सिलेण्डर गैस कनेक्शन प्राप्त करने हेतु डिपाजिट इत्यादि पर खर्च सम्मिलित होगा। गैस पर आने वाला आवर्तक व्यय कन्वर्जन कास्ट से वहन किया जाएगा।

प्राथमिक विद्यालयों में रसोईगैस प्रदान कर दिए जाने पर इस पर प्रारम्भिक (one time) लागत की व्यवस्था विद्यालय निधि से कराने हेतु ग्राम्य विकास विभाग से तथा सांसद निधि से कराने हेतु भारत सरकार सरकार से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।

निर्णयः—

1. मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में डबल रिलेण्डर गैस कनेक्शन के लिए विधायक निधि से धन उपलब्ध कराने हेतु शासनादेश निर्गत किया जाय।
2. मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में डबल रिलेण्डर गैस कनेक्शन के लिए सांसद निधि से धन उपलब्ध कराने को अनुमन्य करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जाय।

कार्यवाही--बेसिक शिक्षा विभाग— 6 दिसम्बर, 2004 तक